

पुलं गांव में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाक्स बीसवीं)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुलं गांव में संघीय कालेक्टर टिब्बी
जीन अधिकारी - सत्यनारायण
संघीय संख्या - 304/2024

1. मंगलराम पुत्र सीधमलाल जाति मधवाल निवासी महरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
1. कुलदीप सिंह पुत्र राजेशसिंह जाति मधवाल निवासी महरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. गीता पुत्री पुरखाराम जाति मधवाल निवासी महरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. जगदेव (जयदेव) पुत्र पुरखाराम जाति मधवाल निवासी महरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. जसो (जसवंती) पुत्री पुरखाराम जाति मधवाल निवासी महरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. पूर्णराम पुत्र चुन्नीराम जाति बाजीगर निवासी महरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. पारो (पारो देवी) पुत्री पुरखाराम जाति मधवाल निवासी महरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. बलवीर सिंह पुत्र चुन्नीराम जाति बाजीगर निवासी महरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. रणजीत पुत्र पुरखाराम जाति मधवाल निवासी महरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. रुधवीर पुत्र पुरखाराम जाति मधवाल निवासी महरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. राजेश पुत्र दलवीरसिंह जाति मधवाल निवासी महरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. सातपाल पुत्र पुरखाराम जाति मधवाल निवासी महरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
12. सुभाष पुत्र दलवीर सिंह जाति मधवाल निवासी महरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. सम्पूर्णकंद पुत्र चुन्नीराम जाति बाजीगर निवासी महरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
14. समाधी स्थल रव0 श्रीमति दानो बाई पुत्र चुन्नीसिंह जाति बाजीगर निवासी महरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
15. तहसीलदार राजस्य टिब्बी।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.ए.खाता विमाजन

निर्णय


दिनांक :- 16/10/24

साक्षी की ओर से श्री करनैलसिंह अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री महावीर
श्रीमती वरमा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.10.24 को
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर
जाता है और डिक्री दी जाती है कि चक नंबर 5 एनडीआर के पत्थर नंबर 103/350
(15) किला नंबर 4/1/0.228, 4/2/0.025 हेक्टेयर मेरमुर्माकिन खाला, 5/1/0.228,
5/2/0.025 हेक्टेयर मेरमुर्माकिन खाला की आराजी का वादो को खातेदार कारशकार

घोषित किया जाकर वादी की आराजी का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने व शेष खाता बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकें अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 16/10/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



25
 (सदर न्यायाधीश एवं
 उपखण्ड अधिकारी एवम्
 पदेन सहायक कलक्टर
 टिब्बी)

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| वाद पत्र के लिये स्टाम्प | --- | शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | --- |
| शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | --- | अर्जी के लिये स्टाम्प | --- |
| प्रदर्शों के लिये स्टाम्प | --- | प्लीडर की फीस | --- |
| रूपये पर प्लीडर की फीस | --- | साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता | --- |
| साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता | --- | आदेशिका की तामिल | --- |
| कमिश्नर की फीस | --- | कमिश्नर की फीस | --- |
| आदेशिका की तामिल | --- | योग | --- |
| योग | --- | | |